


२५-७-२०२५ पत्रावली जेका दुर्घ
वर्षावादी उपस्थित दुर्घ विस्तृत
निर्णय प्रपत्र ले लिखवया जाऊ (
शाहित पत्रावली क्रियागया ।
पत्रावली फिल्लुमार वेळ नमूद ले
कम होय वर वरगीत वरिष्ठ
निष्ठा लोड अण्डा (वर पुत्राया गमा ।


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरपुर-१००६)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल- तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद
(आर०ए०एस०)

वाद संख्या
55 / 2020

रजू दिनांक
10.07.2020

निर्णय दिनांक
24.07.2024

1. शीशपाल दत्तक पुत्र कन्हैया उम्र करीब 47 साल जाति अहीर निवासी मोलावास तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

—वादी

बनाम


1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, जिला अलवर, राज०

—प्रतिवादी


दावा - इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इन्द्राज मय हु० ई० दवामी
उपस्थित - सरजीत कुमार वकील वादी
पैरोकार सरकार

- : निर्णय :-


24.07.2024 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश पेश की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि- आराजी खाता स० 272 में वर्णित हाल ख०नम्बरान 362 रकबा 0.16 हैक्०, 400 रकबा 0.09 हैक्०, 401 रकबा 0.05 हैक्०, 402 रकबा 0.04 हैक्०, 403 रकबा 0.09 हैक्०, 404 रकबा 0.09 हैक्०, 409 रकबा 0.14 हैक्०, 410 रकबा 0.15 हैक्०, 412 रकबा 0.08 हैक्०, 413 रकबा 0.09 हैक्०, 414 रकबा 0.


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

05 हैक्, 415 रकबा 0.04 हैक्, 416 रकबा 0.09 हैक्, 427 रकबा 0.16 हैक्, 428 रकबा 0.17 हैक्, 429 रकबा 0.10 हैक्, 430 रकबा 0.05 हैक्, 432 रकबा 0.10 हैक्, 438 रकबा 0.11 हैक्, कुल किता 19 रकबा 1.85 हैक्, व खाता सं० 273 में वर्णीत हाल ख० नम्बरान 367 रकबा 0.17 हैक्, 368 रकबा 0.06 हैक्, 369 रकबा 0.06 हैक्, 370 रकबा 0.13 हैक्, 389 रकबा 0.25 हैक्, 390 रकबा 0.20 हैक्, 391 रकबा 0.10 हैक्, 392 रकबा 0.03 हैक्, 393 रकबा 0.14 हैक्, 394 रकबा 0.13 हैक्, 395 रकबा 0.14 हैक्, 396 रकबा 0.15 हैक्, 399 रकबा 0.16 हैक्, कुल किता 13 रकबा 1.72 हैक्, 837 रकबा 0.28 हैक्, 835 रकबा 0.15 हैक्, 836 रकबा 0.26 हैक्, वाके ग्राम मोलावास तह० मुण्डावर में स्थित है । जिस आराजी में मृतक खातेदार कन्हैया पुत्र श्योलाल का हिस्सा विवादित कहलायेगा । नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है । उक्त विवादित आराजी में मृतक कन्हैया का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहा है तथा मृतक कन्हैया अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज आराजी पर काबिज काश्त खातेदार रहा है तथा मृतक कन्हैया बिना विवाह व बिना औरत रहा है, जिसने अपने जीवनकाल में अपने बड़े भाई जयराम उर्फ जगराम का पुत्र शीशपाल को दिनांक 30/9/80 को गोद ले लिया तथा गोदनामा की समस्त रस्मे अदा की गयी, जिस गोदनामा में शीशपाल के माता पिता की सहमति लेकर, गोद लिये हुये पुत्र को गोद में बिठाकर, गीत गवाकर, पतासे बांटकर गोदनामा की समस्त रस्मे अदा की गयी थी तथा गांव में गोदनामा की रस्में अदाकर, उप पंजियक कार्यालय मुण्डावर में गोदनामा रजिस्टर्ड कराया गया तथा वक्त गोदनामा से ही मिन वादी मृतक कन्हैया के पास बतौर पुत्र रहकर, मृतक कन्हैया की सेवा टहल करता रहा है तथा मृतक कन्हैया की चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी को मृतक कन्हैया द्वारा गोद लेने के बाद, कन्हैया फौत हो गया तथा कन्हैया के फौत होने पर मिन वादी ने मृतक कन्हैया की समस्त क्रिया कम, जैसे अन्तिम संस्कार, पिण्डदान, गंगा जी पहुचान आदि किया कम किये तथा कन्हैया के फौत होने के बाद से मिन वादी कन्हैया की चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता आ रहा है। वादी, मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है, लेकिन मिन वादी के नाम गोदनामा दिनांक 30/9/80 के आधार पर मृतक कन्हैया का विरास्त इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए मृतक कन्हैया की विरास्त का इन्तकाल मुताबिक जमाबदी हिस्से अनुसार वादी के नाम दर्ज कर, वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मिन वादी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को मृतक कन्हैया के हिस्से की आराजी का विरास्त इन्तकाल रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु तहसीलदार मुण्डावर ने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30/9/80 के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से दिनांक 2/7/2018 को मना कर दिया व न्यायालय से डिकी आदेश लाने की बात कही, जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकूलाय एकत्रित कर, रूपयै पैसों का इन्तजाम कर, वकील साहब से सलाह मशवरा लिया जाकर, दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखारमत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है । मृतक कन्हैया का विधिक वारिस


 उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर (खैरथल-तिजरा)

मिन वादी ही है, मिन वादी के अलावा अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है । दिनांक 2/7/2018 को तहसीलदार मुण्डावर रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर मृतक कन्हैया की विरास्त का इन्तकाल दर्ज करने से मना कर दिया है, जिससे वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुख्यास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है । मृतक कन्हैया के भाई व भाई के वारिसान उक्त मृतक कन्हैया की विरास्त गलत तरीके से अपने नाम दर्ज कराने पर उतारू है तथा मृतक कन्हैया के हिस्से की आराजी पर कब्जा करना चाहते है, जिसका कोई हक व अधिकार नहीं है, मिन वादी मृतक कन्हैया का दत्तक पुत्र है, जो कन्हैया के नाम दर्ज आराजी पर काबिज है तथा काशत कर रहा है । विवादित आराजी मृतक कन्हैया की रही है तथा मिन वादी मृतक कन्हैया का दत्तक पुत्र है तथा आराजी पर काबिज होकर काशत कर रहा है, इसलिए आराजी मिन वादी को जरिये विरास्त प्राप्त होने के कारण आराजी में मिन वादी के हक हकूक बाई बर्थ निहित है तथा आराजी पैत्रिक होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस आफ कन्वीनेंस भी मिन वादी के हक में आयद वो साबित है, लेकिन मृतक कन्हैया के भाई व भाई के वारिसान राजस्व कर्मचारियों से साजाज होकर बाला बाला तरीके से मृतक कन्हैया की विरास्त अपने नाम दर्ज कराने पर आमाद हो रहे है, इसलिए प्रतिवादी को हु० ई० दवामी से पाबन्द किया जावे कि मृतक कन्हैया की विरास्त मृतक कन्हैया के भाई व भाई के वारिसान के नाम दर्ज नहीं करे, व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। (अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जाकर, विवादित आराजी खाता सं० 272 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 362 रकबा 0.16 हैक०, 400 रकबा 0.09 हैक०, 401 रकबा 0.05 हैक०, 402 रकबा 0.04 हैक०, 403 रकबा 0.09 हैक०, 404 रकबा 0.09 हैक०, 409 रकबा 0.14 हैक०, 410 रकबा 0.15 हैक०, 412 रकबा 0.08 हैक०, 413 रकबा 0.09 हैक०, 414 रकबा 0.05 हैक०, 415 रकबा 0.04 हैक०, 416 रकबा 0.09 हैक०, 427 रकबा 0.16 हैक०, 428 रकबा 0.17 हैक०, 429 रकबा 0.10 हैक० 430 रकबा 0.05 हैक०, 432 रकबा 0.10 हैक०, 438 रकबा 0.11 हैक०, कुल किता 19 रकबा 1.85 हैक०, व खाता सं० 273 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 367 रकबा 0.17 हैक०, 368 रकबा 0.06 हैक०, 369 रकबा 0.06 हैक०, 370 रकबा 0.13 हैक०, 389 रकबा 0.25 हैक०, 390 रकबा 0.20 हैक०, 391 रकबा 0.10 हैक०, 392 रकबा 0.03 हैक०, 393 रकबा 0.14 हैक०, 394 रकबा 0.13 हैक०, 395 रकबा 0.14 हैक०, 396 रकबा 0.15 हैक०, 399 रकबा 0.16 हैक०, कुल किता 13 रकबा 1.72 हैक० व 837 रकबा 0.28 हैक०, 835 रकबा 0.15 हैक०, 836 रकबा 0.26 हैक०, वाके ग्राम मोलावास तह० मुण्डावर में मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी का मिन वादी को रजिस्टर्ड गोदनामा 30 / 9/80 के आधार पर कब्जेकाशत खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर, इसी प्रकार मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक कन्हैया का नाम हजफ कर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जावे। (ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खाता सं० 272 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 362 रकबा 0.16 हैक०, 400 रकबा 0.09 हैक०, 401 रकबा 0.05 हैक०, 402 रकबा 0.04 हैक०, 403 रकबा 0.09 हैक०, 404 रकबा 0.09 हैक०, 409 रकबा 0.14 हैक०, 410 रकबा 0.15 हैक०, 412 रकबा 0.08 हैक०, 413



 उपखण्ड अधिनायक
 मुण्डावर (खैरथल-तिज.)

रकबा 0.09 हैक, 414 रकबा 0.05 हैक, 415 रकबा 0.04 हैक, 416 रकबा 0.09 हैक, 427 रकबा 0.16 हैक, 428 रकबा 0.17 हैक, 429 रकबा 0.10 हैक, 430 रकबा 0.05 हैक, 432 रकबा 0.10 हैक, 438 रकबा 0.11 हैक, कुल किता 19 रकबा 1.85 हैक, व खाता सं० 273 में वर्णीत हाल ख० नम्बरान 367 रकबा 0.17 हैक, 368 रकबा 0.06 हैक, 369 रकबा 0.06 हैक, 370 रकबा 0.13 हैक, 389 रकबा 0.25 हैक, 390 रकबा 0.20 हैक, 391 रकबा 0.10 हैक, 392 रकबा 0.03 हैक, 393 रकबा 0.14 हैक, 394 रकबा 0.13 हैक, 395 रकबा 0.14 हैक, 396 रकबा 0.15 हैक, 399 रकबा 0.16 हैक, कुल किता 13 रकबा 1.72 हैक, व 837 रकबा 0.28 हैक, 835 रकबा 0.15 हैक, 836 रकबा 0.26 हैक, वाके ग्राम मोलावास तह० मुण्डावर में मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी की विरास्त मृतक कन्हैया के भाई व भाई के वारिसान के नाम दर्ज नही करे, ना ही कोई दस्तावेज पंजिबद्ध करे व राजस्व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को द्वारा नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया कि पैरा नम्बर 1 में दर्ज विवरण रिकार्ड स्तर तक स्वीकार है एवं शेष भाग वादी द्वारा वाद स्वयं सिद्ध करे।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल रजिस्टर्ड गोदनामा, नकल जमाबन्दी संवत 2070-2073 किता दो नकल हाल जमाबन्दी संवत 2070-2073 आदि पेश किये गये हैं।

हमने वाकील वादी की बहस सुनी। विद्वान वकुलाय का कथन है कि—उक्त विवादित आराजी में मृतक कन्हैया का हिस्सा दर्ज राजस्व रिर्कोड रहा है तथा मृतक कन्हैया अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज आराजी पर काबिज काश्त खातेदार रहा है तथा मृतक कन्हैया बिना विवाह व बिना औरत रहा है, जिसने अपने जीवनकाल में अपने बड़े भाई जयराम उर्फ जगराम का पुत्र शीशपाल को दिनांक 30/9/80 को गोद ले लिया तथा गोदनामा की समस्त रस्मे अदा की गयी, जिस गोदनामा में शीशपाल के माता पिता की सहमति लेकर, गोद लिये हुये पुत्र को गोद में बिठाकर, गीत गवाकर, पतासे बांटेकर गोदनामा की समस्त रस्मे अदा की गयी थी तथा गांव में गोदनामा की रस्में अदाकर, उप पंजियक कार्यालय मुण्डावर में गोदनामा रजिस्टर्ड कराया गया तथा वक्त गोदनामा से ही मिन वादी मृतक कन्हैया के पास बतौर पुत्र रहकर, मृतक कन्हैया की सेवा टहल करता रहा है तथा मृतक कन्हैया की चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी को मृतक कन्हैया द्वारा गोद लेने के बाद, कन्हैया फौत हो गया तथा कन्हैया के फौत होने पर मिन वादी ने मृतक कन्हैया की समस्त क्रिया कम, जैसे अन्तिम संस्कार, पिण्डदान, गंगा जी पहुचान आदि किया कम किये तथा कन्हैया के फौत होने के बाद से मिन वादी कन्हैया की चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता आ रहा है। वादी, मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है, लेकिन मिन वादी के नाम गोदनामा दिनांक 30/9/80 के आधार पर मृतक कन्हैया का विरास्त इन्तकाल दर्ज नही हुआ है, इसलिए मृतक कन्हैया की विरास्त का इन्तकाल मुताबिक जमाबन्दी हिस्से अनुसार वादी के नाम दर्ज कर, वादी



 उपरिष्ठ अधिकारी
 मुण्डावर (खैरथल-तिजरा)

को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। वादी को रजिस्टर्ड गोदनामा 30 / 9/80 के आधार पर कब्जेकाशत खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर, इसी प्रकार मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक कन्हैया का नाम हजफ कर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पपर मनन किया वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत गोदनामा प्रमाणित प्रति की है जो कि उप पंजीयक मुण्डावर से तस्दीक किया हुआ है जो विधिक प्रक्रिया अनुसार पंजीबद्ध जो कि एक प्रामाणिक दस्तावेज है। जिससे हम वादी के वाद को न्याय संगत सिद्ध योग्य पाते है।

// आदेश //

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि डिकी इशतकरारहक मंय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जाती है कि विवादित आराजी खाता सं० 272 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 362 रकबा 0.16 हैव०, 400 रकबा 0.09 हैव०, 401 रकबा 0.05 हैव०, 402 रकबा 0.04 हैव०, 403 रकबा 0.09 हैव०, 404 रकबा 0.09 हैव०, 409 रकबा 0.14 हैव०, 410 रकबा 0.15 हैव०, 412 रकबा 0.08 हैव०, 413 रकबा 0.09 हैव०, 414 रकबा 0.05 हैव०, 415 रकबा 0.04 हैव०, 416 रकबा 0.09 हैव०, 427 रकबा 0.16 हैव०, 428 रकबा 0.17 हैव०, 429 रकबा 0.10 हैव० 430 रकबा 0.05 हैव०, 432 रकबा 0.10 हैव०, 438 रकबा 0.11 हैव०, कुल कित्ता 19 रकबा 1.85 हैव०, व खाता सं० 273 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 367 रकबा 0.17 हैव०, 368 रकबा 0.06 हैव०, 369 रकबा 0.06 हैव०, 370 रकबा 0.13 हैव०, 389 रकबा 0.25 हैव०, 390 रकबा 0.20 हैव०, 391 रकबा 0.10 हैव०, 392 रकबा 0.03 हैव०, 393 रकबा 0.14 हैव०, 394 रकबा 0.13 हैव०, 395 रकबा 0.14 हैव०, 396 रकबा 0.15 हैव०, 399 रकबा 0.16 हैव०, कुल कित्ता 13 रकबा 1.72 हैव० व 837 रकबा 0.28 हैव०, 835 रकबा 0.15 हैव०, 836 रकबा 0.26 हैव०, वाके ग्राम मोलावास तह० मुण्डावर में मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी का मिन वादी को रजिस्टर्ड गोदनामा 30/09/80 के आधार पर कब्जेकाशत खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, इसी प्रकार वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक कन्हैया का नाम हजफ कर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खाता सं० 272 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 362 रकबा 0.16 हैव०, 400 रकबा 0.09 हैव०, 401 रकबा 0.05 हैव०, 402 रकबा 0.04 हैव०, 403 रकबा 0.09 हैव०, 404 रकबा 0.09 हैव०, 409 रकबा 0.14 हैव०, 410 रकबा 0.15 हैव०, 412 रकबा 0.08 हैव०, 413 रकबा 0.09 हैव०, 414 रकबा 0.05 हैव०, 415 रकबा 0.04 हैव०, 416 रकबा 0.09 हैव०, 427 रकबा 0.16 हैव०, 428 रकबा 0.17 हैव०, 429 रकबा 0.10 हैव०, 430 रकबा 0.05 हैव०, 432 रकबा 0.10 हैव०, 438 रकबा 0.11 हैव०, कुल कित्ता 19 रकबा 1.85 हैव०, व खाता सं० 273 में वर्णीत हाल ख० नम्बरान 367 रकबा 0.17 हैव०, 368 रकबा 0.06 हैव०, 369 रकबा 0.06 हैव०, 370 रकबा 0.13 हैव०, 389 रकबा 0.


उपलब्ध अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिज)

25 हैक, 390 रकबा 0.20 हैक, 391 रकबा 0.10 हैक, 392 रकबा 0.03 हैक, 393 रकबा 0.14 हैक, 394 रकबा 0.13 हैक, 395 रकबा 0.14 हैक, 396 रकबा 0.15 हैक, 399 रकबा 0.16 हैक, कुल किता 13 रकबा 1.72 हैक, व 837 रकबा 0.28 हैक, 835 रकबा 0.15 हैक, 836 रकबा 0.26 हैक, वाके ग्राम मोलावास तह० मुण्डावर में मृतक कन्हैया के नाम दर्ज आराजी की विरास्त मृतक कन्हैया के भाई व भाई के वारिसान के नाम दर्ज नही करे, ना ही कोई दस्तावेज पंजिबद्ध करे ।

आज दिनांक - 24.07.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेन्द्र प्रसाद)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा